

निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

311/1998

21.11.1998

30.12.2026

1. तेजा पुत्र भूरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
- 1/1 अम्बालाल पुत्र तेजा, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. मौसरिया पुत्र भूरया, बैरवा नि. बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
- 2/1 सोनबाई पत्नी मौसरिया, बैरवा नि. बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर (मृतक)
- 2/2 जगन पुत्र मौसरिया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 2/3 उगन्ती पत्नी मौसरिया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 2/4 हुकमबाई पुत्री मौसरिया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर
3. छोटा पुत्र भूरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
- 3/1 कजोडी पत्नी छोटया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 3/2 ओमप्रकाश पुत्र छोटया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 3/3 हंसराम पुत्र छोटया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. रामचंद पुत्र सुक्का, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर (मृतक)
- 4/1 बाबूलाल पुत्र रामचंद, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 4/2 शांति पुत्री रामचंद पत्नी रामसहाय, बैरवा निवासी रेल्वे स्टेशन के पास गंगापुर सिटी
- 4/3 गंगा पुत्री रामचंद पत्नी भरोसी, बैरवा निवासी भीलापाडा तह0 नादौती
- 4/4 फूलवती पुत्री रामचंद पत्नी देवीलाल, बैरवा निवासी जाट बडौदा तहसील गंगापुर सिटी
- 4/5 सुखबाई पुत्री रामचंद पत्नी बत्तीलाल, बैरवा निवासी किशन की झोपडी तह0 गंगापुर सिटी
5. सोराम पुत्र सुक्का, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. श्रीया पुत्र चुन्नी, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
- 1/1 हरजी पुत्र श्रीया, बैरवा नि0 बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
- 1/1/1 भूली पत्नी हरजी, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 1/1/2 रामकेश पुत्र हरजी, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 1/1/3 देवराज पुत्र हरजी, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 1/1/4 जगमोहन पुत्र हरजी, बैरवा नि. बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 1/1/5 रिन्कू पुत्र हरजी, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
- 1/1/6 रूपो पुत्री हरजी पत्नी रूपसिंह, बैरवा निवासी धूगढ जिला करौली
- 1/1/7 हल्की पुत्री हरजी पत्नी रघुवीर, बैरवा निवासी धूगढ, करौली

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

तेजा वगैरा बनाम श्रीया वगैरा, दावा

(2)

2. घमण्डी पुत्र चुन्नी, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
 - 2/1 रामस्वरूप पुत्र घमण्डी, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
 - 2/2 मांगी पत्नी घमण्डी, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
 3. पल्लद पुत्र चुन्नी, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
 - 3/1 गुलबाई पत्नी पल्लद, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर (मृतक)
 - 3/2 रामस्वरूप पुत्र पल्लद, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर(मृतक)
 - 3/2/1 कुलदीप पुत्र रामस्वरूप, बैरवा नि. बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर
 - 3/2/2 संदीप पुत्र रामस्वरूप नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती कम्मो पत्नी स्व0 रामस्वरूप, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर
 - 3/2/3 कम्मो पत्नी रामस्वरूप, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर
 - 3/2/4 शीला पुत्री रामस्वरूप, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर
 - 3/2/5 ललिता पुत्री रामस्वरूप पत्नी धर्मसिंह, बैरवा नि. मॉच तह0 करौली
 - 3/2/6 दीपक बाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी राधेश्याम बैरवा निवासी एकट तह0 सपोटरा
 - 3/2/7 गीता पुत्री रामस्वरूप पत्नी रमन बैरवा निवासी बामनवास बिचली पट्टी तह0 बामनवास
 - 3/2/8 संतोष पुत्री रामस्वरूप पत्नी राजेश बैरवा निवासी करसाई तह0 व जिला करौली
 - 3/3 सुरज्ञान पुत्र पल्लद, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
 - 3/4 मीरा पुत्री पल्लद पत्नी पप्पूराम, बैरवा ग्राम रानीला तह0 बामनवास
 - 3/5 अमरबाई पुत्री पल्लद पत्नी रघुवीर, बैरवा निवासी एकट तह0 सपोटरा
 - 3/6 लखन बाई पुत्री पल्लद पत्नी हरकेश, बैरवा निवासी एकट तहसील सपोटरा
 - 3/7 लाली पुत्री पल्लद पत्नी रामकेश, बैरवा निवासी एकट तह0 सपोटरा
4. पूरण पुत्र नहन्या, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
 5. बबलू पुत्र नहन्या, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
 6. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज, बंटवारा
उपस्थित :- श्री भानू कुमार सिंहल, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
निर्णय

वादीगण की ओर से यह वादपत्र इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी ख0नं0 668 रकबा 0.91 है0, 669 रकबा 2.00 है0, 670 रकबा 0.67 है, 671 रकबा 1.23 है0, 672 रकबा 0.41 है0, 683 रकबा 0.86 है0, 706 रकबा 0.63 है0, 707 रकबा 0.92 है0, 708 रकबा 0.69 है0, 669/948 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम छावा तहसील गंगापुर सिटी वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की पूर्वजों के समय से चली आ रही कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि हमारे पूर्वज रजोला के समय से चली आ रही है। वादीगण ने वंशावली

तेजा वगैरा बनाम श्रीया वगैरा, दावा

(3)

खाते हुए अंकित किया है कि प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 का पिता व प्रतिवादी नं० 4 लगायत 5 का बाबा मृतक चुन्नी व वादी सं० 1 लगायत 3 का पिता मृतक मूरया खास भाई थे तथा सुक्का चचेरा भाई था। मृतक चुन्नी जीनों में सबसे बड़ा था तथा गोविन्दा व हेता में गोविन्दा बड़ा था। इस कारण उक्त आराजीयात की खातेदारी रजौला की मृत्यु के पश्चात गोविन्दा के नाम खाते में लगा दी गई व गोविन्दा की मृत्यु के पश्चात चुन्नी के नाम खातेदारी में लगा दी गई और चुन्नी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी नं० 1 व 2 तथा प्रतिवादी नं० 3 व 4 के पिता नहन्या के नाम खातेदारी में लगा दी गई है। उक्त आराजीयात में से ख०नं० 706 रकबा 0.68 है० व ख०नं० 707 रकबा 0.69 है० को वादी सं० 1 लगायत 3 काश्त करते रहे है व ख०नं० 707 रकबा 0.72 है० को वादी नं० 4 व 5 काश्त करते आ रहे है तथा शेष खसरा नंबरों को प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 काश्त करते आ रहे है तथा लगान सभी पक्षकारान संयुक्त रूप से खाते में जमा कराते आये है। रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त आराजीयात प्रतिवादी नं० 1 व 2 व प्रतिवादी नं० 4 व 5 के पिता मृतक नहन्या के नाम चली आ रही है। वादीगण केवल तीन ख०नं० 706, 707 व 708 को ही काश्त करते है जबकि शेष खसरा नंबरों को प्रतिवादीगण काश्त करते है जबकि भेज समान रूप से अदा करते है। वादीगण ने इस वर्ष पटवारी हल्का से कहा कि उक्त तीन नंबरान 706, 707, 708 की भेज क्या बनती है? क्या अलग अलग भेज जमा करवाई जा सकती है? तो पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारे नाम खाता नहीं है तथा जब तक खाते अलग अलग नहीं होंगे तब तक भेज पूरे खाते की एकसाथ लगेगी। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त समस्त आराजीयात में वादी सं० 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा है एवं वादी सं० 4 व 5 का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नं० 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा है। मगर रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त समस्त आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी नं० 1 व 2 तथा प्रतिवादी नं० 4 व 5 के मृतक पिता नहन्या के नाम दर्ज कर दी है इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण घोषणा खातेदारी व दुरुस्ती इन्द्राज के साथ वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में जिस कदर जमीन आवे उसका बंटवारा भी कराना चाहते है एवं बंटवारे में अपने हिस्से में आई भूमि का सप्रेट कब्जा चाहते है जिसके लिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि आराजी वादग्रस्त ख०नं० 668 रकबा 0.91 है०, 669 रकबा 2.00 है०, 670 रकबा 0.67 है, 671 रकबा 1.23 है०, 672 रकबा 0.41 है०, 683 रकबा 0.86 है०, 706 रकबा 0.63 है०, 707

उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (राज०)

तेजा वगैरा बनाम श्रीया वगैरा, दावा

(7)

है०, 708 रकबा 0.69 है०, 669/948 रकबा 0.47 है० वाके ग्राम छावा तहसील गंगापुर सिटी श्रीया, नहन्या, घमण्डी पि० चुन्नी कोम चमार के नाम दर्ज है। इन खातेदारान में से प्रतिवादी नं० 1 श्रीया ने अपने जवाब में वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादपत्र में वर्णित अनुसार विभाजन करने पर सहमति प्रकट की है। स्वतंत्र गवाहान रतनलाल व शिवराम ने भी अपने बयानों में यह उल्लेख किया है कि वादीगण भी उक्त आराजीयात के कुछ खसरा नंबरों पर काबिज है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण भी काबिज है एवं यह आराजीयात पैतृक है, जिसमें वादीगण का भी हिस्सा है। यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि प्रतिवादी नं० 1 ने वादीगण द्वारा चाहे अनुसार विभाजन करने पर सहमति प्रकट की है। इसलिए हमारी राय में वाद वादीगण प्राथमिक डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन कि आधार पर वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिकी किया जाता है एवं विवादित आराजीयात ख०नं० 668 रकबा 0.91 है०, 669 रकबा 2.00 है०, 670 रकबा 0.67 है, 671 रकबा 1.23 है०, 672 रकबा 0.41 है०, 683 रकबा 0.86 है०, 706 रकबा 0.63 है०, 707 रकबा 0.92 है०, 708 रकबा 0.69 है०, 669/948 रकबा 0.47 है० वाके ग्राम छावा गंगापुर सिटी का वादी नं० 1 लगायत 3 तेजा, मोसरिया, छोटया पि० भूरया को 1/3 हिस्से, वादी नं० 4 व 5 रामचंद, सोराम पि० सुक्का को 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी नं० 1 लगायत 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी को 300/- रुपये की फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर भिजवावें। प्राथमिक डिकी जारी की जावे।

उपरोक्त निर्णय की पालना मे नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादीगण नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम पर सहमत है तथा वादीगण के वकील का यह भी कहना है कि जो वादी एवं प्रतिवादी फौत हो चुके है एवं उनके स्थान पर जो उनके वारिस आये है उनके नाम हिस्से अनुसार भूमि की खातेदारी घोषित की जाकर भूमि का विभाजन करते हुए भूमि खातेदारी मे दर्ज की जावे।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. वादी तेजा के वारिस अम्बालाल हि० 1/9, वादी छोटया के वारिस श्रीमती कजोडी, ओमप्रकाश, हंसराम हि० 1/9, वादी मौसरिया के वारिस जगन,

तेजा वगैरा बनाम श्रीया वगैरा, दावा

(8)

उगन्ती, हुकमबाई हि० 1/9 जाति बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर की खातेदारी मे भूमि ख०न० 706 रकबा 0.63 है०, ख०न० 708 रकबा 0.69 है०, ख०न० 669 मिन रकबा 1.61 है० कुल रकबा 2.93 है० ग्राम छाबा तह० गंगापुर सिटी रहेगी।

2. वादी रामचंद के वारिस बाबूलाल, शांति, गंगा, फूलवती, सुखबाई हि० 1/6, वादी सोराम हि० 1/6 जाति बैरवा, सा. बाढ सलेमपुर तह० गंगापुर सिटी की खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख०न० 707 रकबा 0.92 है०, ख०न० 669 मिन रकबा 0.39 है०, ख०न० 669/948 रकबा 0.47 है०, ख०न० 668 मिन रकबा 0.17 है०, ख०न० 672 रकबा 0.41 है०, ख०न० 671 मिन रकबा 0.44 है०, ख०न० 683 मिन रकबा 0.13 है० कुल रकबा 2.93 है० ग्राम छाबा तह० गंगापुर सिटी रहेगी।

3. प्रतिवादी श्रीया के वारिस हरजी, श्रीमती भूली, रामकेश, देवराज, जगमोहन, रिकू, रूपो, हल्की हि० 1/15, प्रतिवादी घमंडी के वारिस रामस्वरूप, मांगी हि० 1/15, प्रतिवादी पल्लद के वारिस सुरज्ञान, मीरा, अमरबाई, लखनबाई, लाली एवं मृतक रामस्वरूप के वारिस(कुलदीप, संदीप, श्रीमती कम्मो, शीला, ललिता, दीपकबाई, गीता, संतोष) हि० 1/15, प्रतिवादी पूरण हि० 1/15, प्रतिवादी बबलू हि० 1/15 जाति बैरवा सा. खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख०न० 668 मिन रकबा 0.74 है०, ख०न० 671 मिन रकबा 0.73 है०, ख०न० 670 रकबा 0.67 है०, ख०न० 671 रकबा 0.06 है०, ख०न० 683 रकबा 0.73 है० कुल रकबा 2.93 है० ग्राम छाबा तहसील गंगापुर सिटी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन सम्बधित खातेदारान के नाम यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.3.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजन्द्र मीना)

उप-जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (रजि०)